112

14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी दो/निग./सतना/भू.रा/6169/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-11-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 185/अपील/08-09.

----

1. कुसुम कली पत्नी स्व0 राम कृष्ण सिंह
2. नागेन्द्र सिंह तनय रामकृष्ण सिंह
3. राहुल सिंह तनय रामकृष्ण सिंह
4. प्रियंका उर्फ पूनम तनय रामकृष्ण सिंह
5. अन्जू सिंह उर्फ गुछिया सिंह तनय रामकृष्ण सिंह
6. अर्चना सिंह उर्फ सुरेखा सिंह तनय रामकृष्ण सिंह

   निवासी- ग्राम बेला तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

...............निगराकार

बनाम

1. रामवाई पुत्री रामकृष्ण पत्नी श्री रामप्रताप
   निवासी- ग्राम खड्डा तहसील सिरमौर वर्तमान सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
2. कुसुम कली पुत्री रामकृष्ण पत्नी राम प्रकाश सिंह
   निवासी- ग्राम खड्डा तहसील सिरमौर वर्तमान सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
3. शान्ति देवी पुत्री रामकृष्ण सिंह पत्नी केशरी सिंह
   निवासी- ग्राम हरदुआ तहसील सिरमौर वर्तमान सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
4. श्यामकली पुत्री रामकृष्ण सिंह पत्नी कुवेर सिंह
   निवासी- ग्राम मतहा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

..................प्रत्यर्थीगण

श्री बृजभान सिंह, अधिवक्ता, आवेदक

श्री रामजीत तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/01/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 27-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बेला पटवारी हल्का नं0 20 राज0 निरी0 मंडल छिबौरा तहसील रामपुर बाघेलान के आराजी नं0 775, 776, 777, कुल 04 किता रकवा क्रमश: 6.30, 5.08 एवं 1.64 कुल रकवा 13.61 का आपसी विभाजन कुसुमकली व रामकृष्ण के मध्य दिनांक 02-01-07 को पंजी क्रमांक-3 में किया गया । अनावेदक रामबाई वगैरह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जहॉ पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 24-9-08 से नामांतरण नंजी में पारित आदेश को सही मानते हुए अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध यह अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 185/अपील/08-09 दर्ज कर दिनांक 27-11-2017 को आदेश पारित कर यह अपील स्वीकार गई और दोनों निम्न न्यायालयों के आदेश निरस्त किये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में संहिता की धारा 178 के तहत कोई इश्तहार का प्रकाशन किया जाकर आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई। प्रकरण में किसी भी हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया है जबकि संहिता की धारा 178 में पंजी पर बटवारे का कोई प्रावधान नहीं है। बटवारे में सभी पक्षकारों की सहमति भी नहीं ली गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण बटवारे आदेश की पुष्टि करनेमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने दोनों निम्न् न्यायालयों के त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक

आदेश को निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नजर नहीं आता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 27-11-2017 स्थिर रखा जाता है।

23/01/2019

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर